# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

**पंचायत निगरानी सं.– 212/2025**
**जीसीएमएस सख्या – (2025/427)**

**निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–**
कालुराम पुत्र श्री मदनलाल निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–**
1. ग्राम पंचायत, खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लुणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. भल्लाराम पुत्र श्री मदनलाल निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 36, बुक सं. 6, मिसल सं. 03/2021–22, जारी दिनांक 20.10.2021 को ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लुणी, जिला जोधपुर को निरस्त करने बाबत।**

**उपस्थिति** :–
1. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह (प्रार्थी की ओर से )।
2. अधिवक्ता श्री करण सिंह (अप्रार्थी सं. 02 की ओर से)

**–निर्णय–** **दिनांक : 28.08.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान, पंचायत समिति, लुणी, जिला जोधपुर द्वारा मिसल सं. 03/2021–22 में बुक सं. 06, पट्टा सं. 36 दिनांक 20.10.2021 को ग्राम खाराबेरा पुरोहितान की आबादी भूमि में जारी आवासीय पट्टा को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 09.07.2025 को प्रार्थी कालुराम द्वारा पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत से विवादग्रस्त पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थी सं. 02 श्री भलाराम (पट्टाधारी) की ओर से श्री करण सिंह, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत ने पत्रांक 25 दिनांक 29.07.2025 से बैठक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विवरण रजिस्टर 2021–22 तथा पट्टा बुक सं. 6 पेश किया तथा सूचित किया कि मिसल सं. 03/2021–22 ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

3. निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 2 भलाराम के पक्ष में दिनांक 20.10.2021 को जारी आदेश पंचायती राज नियमों का उल्लंघन करते हुए पारित किया है। उक्त निर्णय से पूर्व प्रस्ताव ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में पारित नहीं किया है। पट्टा जारी करने में नियमों की पालना नहीं की गई है। पट्टा मौके पर उपलब्ध माप के अनुसार जारी नहीं किया है तथा पट्टे में मौके की स्थिति के विपरीत ज्यादा नाप का अंकन किया है। ग्राम पंचायत में पट्टा जारी करने हेतु अपनाई गई प्रकिया का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मिसल व राशि जमा का रिकॉर्ड नहीं है। अतः पट्टा फर्जी, कूट रचित व जाली दस्तावेज है। मिसल संधारित नहीं की गई है। नियम 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां हेतु इश्तिहार जारी नहीं किया गया है। नियम 157(1) के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विवादग्रस्त भुमि बेशकीमती है। नियम 157(1) में पट्टा जारी करने से राजस्व हानि हुई है। पट्टे में वसूल की गई राशि व रसीद संख्या का अंकन नहीं है। स्थान रिक्त है।

अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टे को निरस्त किया जावे। निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करने बाबत भी पेश किया है, जिसमें कथन किया है कि पट्टे में वर्णित भूमि से चिपते हुए निगरानीकार की भूमि आई हुई है, फर्जी पट्टे से अप्रार्थी, निगरानीकार की भूमि हडपना चाहता है। अतः प्रार्थी व्यथित व्यक्ति है, अतः उसे निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है।

4. उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह ने निगरानी मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि आक्षेपित पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया है। ग्राम पंचायत में पट्टे से संबंधित मिसल उपलब्ध ही नहीं है। ग्राम पंचायत ने नियमों में निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया है तथा न ही बैठक में प्रस्ताव पारित किये है। मौके पर अप्रार्थी 2 के कब्जे की भूमि से अधिक भूमि का पट्टा जारी किया है, जिससे प्रार्थी के कब्जे की भूमि प्रभावित हो रही है। सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई, जिससे प्रार्थी आक्षेप पेश नहीं कर सका। अतः अवैध रूप से जारी पट्टो को निरस्त किया जावे। ग्राम पंचायत ने भी आक्षेपित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पट्टो की मिसल उपलब्ध नहीं होने का तथ्य सूचित किया है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि पट्टा जारी करने में नियमों में विहित प्रकिया की पालना नहीं की हैं तथा ऐसे अवैध पट्टे को कभी भी निगरानी में खारिज किया जा सकता है।

6. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्तानुसार बहस का अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया। अप्रार्थी 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री करणसिंह ने निगरानी का लिखित जवाब पेश नहीं किया तथा पट्टा निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की तथा पट्टा को निरस्त करने पर अनापत्ति बाबत लिखित में सहमति दी तथा आदेशिका पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये ।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया तथा संबंधित विधि प्रावधानों का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8. (a)ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान से प्राप्त पट्टा बुक सं. 6 में पट्टा सं. 36 की कार्यालय प्रति उपलब्ध है, जिसके अनुसार मिसल सं. 03/2021–22 दिनांक 20.08.2021 दायर कर, दिनांक 20.10.2021 को पट्टा सं. 36 अप्रार्थी 2 भल्लाराम के पक्ष में संकल्प सं. 04 दिनांक 05.10.2021 की अनुपालना में प्रारूप 23क नियम 157(1) के अंतर्गत 106.11 वर्गगज का जारी किया गया है तथा आवंटी से 200 रूपये रसीद सं. 72 से वसूल किये है। जिसके पडौस में दक्षिण में प्रार्थी कालूराम को दर्शाया है। पट्टे पर सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है, परंतु पट्टे पर अप्रार्थी सं. 2 भलाराम के व गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है।

(b)ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 20.08.2021 को प्रस्ताव सं. 2 में कमांक 3 पर भलाराम द्वारा नियम 157 के तहत आवेदन पेश करने का उल्लेख है तथा तीन सदस्यों की कमेटी नियुक्त करने का भी अंकन है, परंतु कमेटी में किन–किन को सदस्य नियुक्त किया है, इसका स्पष्ट विवरण अंकित नहीं है तथा कार्यवाही विवरण सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षरों से प्रमाणित नहीं है।

(c)इसी प्रकार दिनांक 05.09.2021 की पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं. 2 पारित किया है जिसमें पत्रावलियां पेश होना, निरीक्षण नियम 146(3) के तहत नजरी नक्शा सदस्यों की उपस्थिति में तैयार होने का उल्लेख है तथा आक्षेप हेतु नोटिस

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जारी हो, अंकित है। परंतु यह कार्यवाही विवरण भी सरपंच/ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा कौनसी पत्रावलियां पेश हुई, इसका स्पष्ट अंकन नहीं है।

(d)इसी प्रकार दिनांक 05.10.2021 की बैठक कार्यवाही में प्रस्ताव सं. 04 में मिसल सं. 01 से 10 तक पेश होना बताया है तथा अंकित किया है कि मौका निरीक्षण व राय प्राप्त हो चुकी है, किसी प्रकार की आपत्तियां अंदर म्याद प्राप्त नहीं हुई है। माफिक नक्शे अनुसार रिहायशी मकान बने हुए है। पुश्तैनी कब्जा है। अतः नियम 157(1) के अंतर्गत राशि जमा कराने पर पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी जाती है, परंतु उक्त प्रस्ताव सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षरों से प्रमाणित नहीं है तथा न ही इस विवरण में यह अंकित है कि मौका निरीक्षण कब किया, किसके द्वारा किया गया, आपत्तियां कब आमंत्रित की गई, नोटिस कब जारी किया, किस तारीख को चस्पा किया। नियमों में न्यूनतम एक माह की अवधि निर्धारित है।

(e)ग्राम पंचायत ने पत्रांक 25 दिनांक 29.07.2025 से सूचित किया है कि मिसल सं. 03/2021–22 ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 167 तक में आबादी भूमि के विक्रय करने की प्रक्रिया के प्रावधान किये गये है, जिसमें आवेदकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करना, ग्राम पंचायत की बैठक में प्रार्थना पत्रों को पेश करना, तथा उन्हे दर्ज कर मिसल खोलना, पंचायत के निर्णय अनुसार नामजद तीन सदस्यों की कमेटी का गठन करना, कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करना तथा रिपोर्ट पर पंचायत द्वारा विचार विमर्श कर सार्वजनिक आपत्तिंया आमंत्रित करना तथा प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करने के पश्चात् पट्टा जारी करने/भूमि का विक्रय करने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है तथा उक्त समस्त कार्यवाहियों का विवरण मिसल की आदेशिका में दर्ज किया जाता है तथा प्रत्येक स्टेप की कार्यवाही सरपंच के हस्ताक्षरों से प्रमाणित की जाती है। हस्तगत प्रकरण में मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध ही नहीं है, जिसके अभाव में यह परीक्षण नहीं किया जा सकता कि ग्राम पचांयत ने वांछित दस्तावेजात् आवेदन कर्ता से प्राप्त किये है तथा कमेटी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करके, उनका विधिवत निस्तारण करने के पश्चात् भूमि विक्रय का निर्णय लिया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(f)उपर्युक्त के अतिरिक्त अप्रार्थी सं. 2 की ओर से भी मिसल सं. 03/2021–22 व उसमें संलग्न दस्तावेजात् की प्रतियां पेश करके, निगरानीकार के आक्षेप का खण्डन नहीं किया गया है।

9. उपर्युक्त तथ्यात्मक व कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 36 दिनांक 20.10.2021, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन करके जारी किया जाना पाया जाता है, जो अपास्त योग्य है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी व निगरानी पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किये जाते है।

## आदेश

10. उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषणानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा मिसल सं. 03/2021–22 में पट्टा बुक सं. 6 में से जारी पट्टा सं. 36 दिनांक 20.10.2021 को खारिज किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा पारित संकल्प सं. 2 दिनांक 05.09.2021, संकल्प सं. 04 दिनांक 05.10.2021 को उक्त पट्टा सं. 36 की सीमा तक को भी अपास्त किये जाते है। अप्रार्थी सं. 2 नए सिरे से आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है।
11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान को लौटाया जावे।
12. अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
13. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर